

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक :- राजस्व/2024/197

दिनांक :- 2-4-2025

आदेश

प्रार्थी गुरदत सिंह पुत्र चनन सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के खाता "दुरुस्ती प्रार्थना" पत्र में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में तहसीलदार राजस्व संगरिया के पत्रांक 742 दिनांक 17.03.2025 को प्राप्त रिपोर्ट मय अनुशंषा के आधार पर चक 3 एचआरपी एवं चक 4 एचआरपी की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र. स. | ग्राम का नाम | चक व खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|--------------|---|--------------------------------------|--|
| | हरिपुरा | चक 3 एचआरपी खाता संख्या 29/39 व इसी चक के खाता संख्या 28/102 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 | गुरदितासिंह पुत्र चननसिंह | गुरदत सिंह पुत्र चननसिंह |
| | | चक 4 एचआरपी खाता संख्या 30/65 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 | | |

नोट :-शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दिनांक :- 2-4-2025

क्रमांक :- सम/198

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी.....।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया